

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु मॉडल प्रोजेक्ट प्रारूप (वित्तीय वर्ष 2025-26)

1. आवेदनकर्ता का विवरणी :-

- आवेदक का नाम :-
- पिता/पति का नाम :-
- पूर्ण पता :- ग्राम-.....पोस्ट-.....थाना-.....मौजा-.....
जिला-.....
- मोबाईल नं०-
- कृषि विभाग पोर्टल पर पंजीकरण (पंजीकरण संख्या) :-

फोटोग्राफ
स्वअभिप्रमाणित

2. व्यवसायिक स्थल का पूर्ण पता एवं विवरणी :-

- पूर्ण पता :- ग्राम-.....पोस्ट-.....थाना-.....मौजा-.....
जिला-.....
- स्थल विवरणी :- स्थल की चौहदी- पूरब-.....पश्चिम-.....उत्तर-.....
दक्षिण-..... खाता संख्या -.....खेसरा संख्या.....रकवा -.....

3. जमीन का स्थान एवं रकवा :-

- छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु 0.4-1 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी। यातायात सुविधा को ध्यान में रखते हुए जमीन कम से कम ग्रामीण सड़क के समीप होना आवश्यक है। जलजमाव भूमि का चयन नर्सरी स्थापना हेतु नहीं किया जायेगा।
- चयनित भूमि पर आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई का कार्य स्वयं के संसाधन से किया जायेगा।
- पानी के श्रोत हेतु Tubwell/pumping set, electric connection इत्यादि की सुविधा नर्सरी हेतु चयनित जमीन पर कृषकों के स्वयं का होना चाहिए।

4. परियोजना प्रस्ताव का विवरणी :-

(i)	Fixed Cost			
क्र०सं०	अवयव का नाम	संख्या	दर	न्यूनतम अनुमानित लागत
1	पॉली हाउस (500 m ²)	1	1060/m ²	5,30,000.00
2	शेडनेट हाउस (1000 m ²)	1	710/ m ²	7,10,000.00
3	मातृवृक्ष हेतु सूक्ष्म सिंचाई (1500 पौधा)			40,000.00
4	जल भंडारण टैंक (10000 ली० क्षमता)			60,000.00
5	वर्मी कम्पोस्ट इकाई			20,000.00
6	कार्यालय+पैकेजिंग शेड+भंडार गृह (200 m ²)			4,50,000.00
7	फेंसिंग			20,000.00
8	हॉर्टिकल्चर टूल्स एवं संधारण पंजी			50,000.00
	कुल			18,80,000.00
(ii)	Recurring Cost			
	मातृवृक्ष के लिए पौध सामग्री का मूल्य (1500 पौधा)	1500	80.00 रुपये प्रति पौधा	1,20,000.00
	कुल प्रोजेक्ट लागत			20,00,000.00

- मातृवृक्ष हेतु पौध सामग्री प्रमाणित श्रोत से प्राप्त कर लगाया जायेगा, जिसके Record का संधारण लाभार्थी के द्वारा स्वयं किया जायेगा।

5. न्यूनतम अनुमानित लागत से अधिक व्यय होने पर अनुमानित लागत से अन्तर राशि का व्यय कृषक के द्वारा स्वयं किया जायेगा (सहमत/असहमत)।
6. योजना की इकाई लागत 20.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है। इकाई लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत राशि 10.00 लाख रुपये सहायतानुदान दो किस्तों में दिया जायेगा।
7. योजनान्तर्गत नियमानुसार दो किस्तों में सहायतानुदान दिया जायेगा।
(क) अनुमोदित मॉडल प्रोजेक्ट के Fixed Cost के अवयव के तहत कार्य पूर्ण होने पर इकाई लागत का 60 प्रतिशत सहायतानुदान प्रथम किस्त के रूप में दिया जायेगा (सहमत असहमत)।
(ख) मॉडल प्रोजेक्ट के Recurring एवं अन्य अवयव के तहत कार्य पूर्ण होने पर शेष 40 प्रतिशत सहायतानुदान द्वितीय एवं अंतिम किस्त के रूप में दिया जायेगा (सहमत/असहमत)।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना सही है, किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जबाबदेही मेरी होगी तथा मेरे विरुद्ध विधिसम्बन्धित कार्रवाई किया जा सकता है।

आवेदक का हस्ताक्षर

उद्यान निदेशालय

कृषि विभाग

छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु उपर्युक्त जमीन से संबंधित एकरारनामा (एक हजार रुपये का स्टाम्प पेपर पर)

(विहित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मैं.....पिता / पति.....
ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....
प्रखंड.....जिला.....का निवासी हूँ।
2. व्यवसायिक स्थल की चौहदी पूरब.....पश्चिम.....
उत्तर.....दक्षिण.....
खाता संख्या.....खेसरा संख्या.....रकवा.....

3. जमीन का स्थान एवं रकवा :-

- उपर्युक्त चौहदी (खाता संख्या.....खेसरा संख्या.....रकवा.....)
ग्रामीण सड़क के समीप है। चयनित स्थल नीची एवं जलजमाव रहित है।
- चयनित भूमि पर आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई का कार्य मेरे द्वारा स्वयं के संसाधन से किया जायेगा।
- पानी के श्रोत हेतु Tubwell/pumping set, electric connection इत्यादि की सुविधा मेरे जमीन पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त सूचना सही है किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जबाबदेही मेरी होगी, तथा मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा सकता है।

नर्सरी स्थल के बगल के दो किसानों का नाम एवं हस्ताक्षर

(मोबाईल नं० सहित)

- | | | |
|---|---------------------|-----------|
| 1 | गवाह का नाम एवं पता | हस्ताक्षर |
| | | |
| | | |
| 2 | गवाह का नाम एवं पता | हस्ताक्षर |
| | | |
| | | |

कृषक का हस्ताक्षर